



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर R.T.No 127
Khata Type सिकमी

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
5	अनन्द मोहन अग्रवाल वो मनमोहन अग्रवाल वो चन्द्रमोहन अग्रवाल वो रमेश कुमार अग्रवाल , पिता-मदनलाल अग्रवाल, जाति- .	744		1 ऐ	69 डि	0 ऐ	5.55		1 / 5
5	श्रीमति मंजू अग्रवाल , पति-दीपक अग्रवाल , जाति- .	744		0 ऐ	0 डि	0 हे	2.99	दाखिल खारिज मु० सं०-394(VI)2016-17	1 / 302
		744		0 ऐ	5.55 डि	0 हे			
		744		0 ऐ	5.55 डि	0 हे			
5	श्रीमति मंजू अग्रवाल , पति-मनोज अग्रवाल , जाति- . एवं सालु अग्रवाल , पति-रतन अग्रवाल , जाति- .	744		0 ऐ	0 डि	0 हे	1	दाखिल खारिज मु० सं०-1396(VI)2013-14	1 / 303
5	मंजू अग्रवाल , पति-मनोज अग्रवाल, जाति- .	744		0 ऐ	5.55 डि	0 हे	4	दा.खा.मु.स.394(VI) 16-17	1 / 352
5	श्रीमती मुन्नी देवी अग्रवाल , पति-श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, जाति- .	744		0 ऐ	6.6 डि	0 हे	5	दा. खा. मु स.	1 / 668
		744			6.6				

				0 ऐ	डि	0 हे			
5	श्री नीलेश कुमार भट्ट , पिता-अतरी लाल भट्ट, जाति- .	744		0 ऐ	4.5 डि	0 छ.	5	दा0खा0 म0 स0 857 (VI) 15-16	1 / 676
		744		0 ऐ	4.5 डि	0 छ.			
5	श्रीमती गिरजा केशरी , पति- भगवान दास केशरी, जाति- .	744		0 ऐ	2 कठा	14.5 छ.	5	दा0खा0 म0 स0 664 (VI) 03-04	1 / 678
		744		0 ऐ	2 कठा	14.5 छ.			
5	श्रीमती कमलेश देवी , पति-राजेंद्र अग्रवाल, जाति- .	744		0 ऐ	8.3 डि	0 हे	10	दा0खा0 म0 स0 1412 (VI) 08-09	1 / 679
		744		0 ऐ	8.3 डि	0 हे			
5	SANYAM JALAN , पिता-RAJESH JALAN, जाति- वैश्य	744		0 ऐ	8.25 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 5017/2018 - 2019	3 / 11
5	SANYAM JALAN , पिता-RAJESH JALAN, जाति- वैश्य	744		0 ऐ	5.55 डि	0 हे	8	नामान्तरण मुकदमा संख्या 5018/2018 - 2019	3 / 12
5	SABITA DEVI , पति-BALRAM GUPTA, जाति- वैश्य	744		0 ऐ	3.47 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 5140/2019 - 2020	3 / 37

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

6/22/2020

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।